Order sheet [Contd]

case No BA- 24/2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

आवेदक / अभि

10-01-18 03:30 P.M to 03:45 P.M. आवेदक / अभियुक्त सोनू उर्फ मोहन द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना मौ के अपराध क्रमांक 333 / 17 अंतर्गत धारा 327, 347 एवं 329 भाठदं०सं० एवं धारा—11,13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक सोनू उर्फ मोहन के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदक सोनू उर्फ मोहन के ससुर मुकट सिंह की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदक सोनू उर्फ मोहन के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना मौ द्वारा आवेदक के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर फरियादी से सांठगांठ कर झूठा तथाकथित अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आवेदक का किसी अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है उसे रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक झायवरी का काम करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वह अधिक समय तक न्यायिक निरोध में रहा तो उसका परिवार भूखों मर जावेगा। आवेदक ग्राम कंचन पुरा का निवासी होकर संभ्रान्त नागरिक है। यदि आवेदन ज्याद दिनों तक न्यायिक निरोध में रहा तो आपराधिक किस्म के लोगों के साथ रहने से उसके भावी जीवन पर कुप्रभाव पडने की पूर्ण संभावना है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.17 को रात्रि 09:00 बजे के लगभग ग्राम इटायदा मोड के पास झांकरी गोहद रोड पर फरियादी राजेश शर्मा अपने टेंकर का इंतजार कर रहा था, कुछ देर में टेंकर क्रमांक एम.पी.—33—एच.—1759 आकर रूका, ड्रायवर माखन चंदेल उतरा और उससे बात करने लगा तभी पीछे से सफेद रंग की बुलेरों कमांक एम.पी.—007—सी.ई.—5485 आई जिसमें से दो व्यक्ति उतरे जो शराब पिए थे तथा माखन ड्रायवर से शराब के लिए रूपए मांगने लगे, मना करने पर दोनों जबरदस्ती अपनी बुलेरों में अवैध कार्य करने के उद्देश्य से माखन को बिटाकर ले गए, रास्तें में दोनों अभियुक्तगण राजकुमार कौरव एवं सोनू कौरव माखन की मारपीट करते रहे। उन्होंने माखन के कपड़े उतारने का प्रयास किया तथा पैसे न देने पर एक्सीडेंट के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। गुरूयांची, रतवा रोड नदी के पास पहुंचने पर मौ थाने की पुलिस आ गई और उन्होंने अभियुक्तगण को पकड़ा।

माखन की एम.एल.सी. का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसे नीचे के होंठ पर सीधे गाल पर सीधे हाथ की इण्डेक्स फिंगर पर कंट्रजन पाया गया है पीठ में दर्द की शिकायत है। एक्सरे रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि एक्सरा दिनांक 25.12.17 को किया गया है। जिसमें सीधे हाथ की इण्डेक्स फिंगर में फ्रेक्चर होना पाया गया है। आवेदक सोनू उर्फ मोहन का दिनांक 24. 12.17 से अर्थात 20 दिवस से निरोध में होना बताया गया है।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा–5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा—5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना मौ की ओर प्रेषित की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

मोहम्मद अजहर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद—भिण्ड म०प्र०